

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक:- 08.12.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा जनपदवासियों की समस्याओं के निस्तारण एवं त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई आयोजित की गयी।

जनसुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए प्रत्येक फरियादी को निष्पक्ष व गुणवत्तापूर्ण समाधान का आश्वासन दिया गया। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से किया जाए ताकि आमजन का पुलिस पर विश्वास और अधिक मजबूत हो।

जनसुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत महिलाओं को सशक्त बनाने एवं उन्हें सुरक्षित वातावरण प्रदान किये जाने के उद्देश्य से उपस्थित महिला फरियादियों से संवाद कर उनको जागरूक करते हुए महिलाओं को उनकी सुरक्षा, अधिकारों एवं शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी दी गई तथा उन्हें निडर होकर अपनी बात रखने हेतु प्रेरित किया गया।

पुलिस अधीक्षक महोबा ने कहा कि जनपद महोबा पुलिस आमजन की सुरक्षा, न्याय एवं सेवा के लिए पूर्णतः समर्पित है।



मिशन शक्ति अभियान 5.0 के अंतर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण तथा साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु जागरूकता कार्यक्रम आयोजित...

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक 08.12.2025 को जनपद महोबा के समस्त थानों की मिशन शक्ति टीमों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण एवं साइबर सुरक्षा जागरूकता हेतु विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए।

इस कार्यक्रम के दौरान महिलाओं और बालिकाओं को महिला संबंधित समस्याओं/अपराधों के निस्तारण के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। साथ ही उन्हें विभिन्न महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी प्रदान की गई, जिनमें शामिल हैं: वूमेन पॉवर लाइन – 1090, पुलिस आपातकालीन सेवा – 112, एम्बुलेंस सेवा – 108, चाइल्ड लाइन – 1098, स्वास्थ्य सेवा – 102, महिला हेल्पलाइन – 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन – 1076, साइबर हेल्पलाइन – 1930

कार्यक्रम में महिलाओं एवं बालिकाओं को गुड टच-बैड टच, घरेलू हिंसा, साइबर अपराध और अन्य कानूनी प्रावधानों के बारे में समझाया गया। इसके अतिरिक्त शासन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के विषय में जानकारी देते हुए पम्पलेट वितरित किए गए।

इस अवसर पर थानों में नवस्थापित मिशन शक्ति केन्द्रों की भूमिका और उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। इन केन्द्रों का उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं के सुरक्षा, मार्गदर्शन और सशक्तिकरण में सहयोग प्रदान करना है।

उक्त अभियान के तहत थाना पनवाड़ी पुलिस टीम द्वारा स्वामी विवेकानंद इण्टर कॉलेज में जाकर बालक व बालिकाओं को मिशन शक्ति फेज 5.0 अभियान तथा साइबर अपराधों के संबंध में विस्तारपूर्वक जागरूक किया गया।



थाना कुलपहाड़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई-

₹2.62 लाख की नकली भारतीय मुद्रा के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह तथा अपर पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमती वंदना सिंह के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रविकांत गोंड के निकट पर्यवेक्षण में संचालित तलाश वांछित/वारंटी एवं संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग अभियान के तहत थाना कुलपहाड़ पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

दिनांक 07.12.2025 मुखबिर खास की सूचना पर तत्काल संज्ञान लेते हुये थाना कुलपहाड़ प्रभारी निरीक्षक श्री विनोद कुमार सिंह द्वारा थाना स्तर पर टीम का गठन कर रेलवे स्टेशन बेलाताल की पुरानी स्टेशन बाउंड्री गेट के पास संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों की चेकिंग करायी जा रही थी।

चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति की गतिविधियाँ संदिग्ध प्रतीत होने पर उसकी तलाशी ली गई। तलाशी में उसके कब्जे से ₹2,62,000/- की भारतीय नकली मुद्रा बरामद हुई।

पूछताछ में अभियुक्त की पहचान देवेन्द्र अहिरवार पुत्र स्व. छेदामी, उम्र लगभग 33 वर्ष, निवासी ग्राम आरी, थाना अजनर, जनपद महोबा के रूप में हुई। जिसके द्वारा बताया गया कि अंकुल नामक एक व्यक्ति द्वारा इसको नकली मुद्रा दी गयी थी। नकली रुपये रखने एवं प्रचलन में लाने के अपराध में अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कुलपहाड़ पर मु.अ.सं. 344/2025, धारा 179/180 बीएनएस पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही सम्पादित करते हुये अभियुक्त उपरोक्त देवेन्द्र को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया है तथा वांछित अभियुक्त अंकुल की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन कर दिया गया है, शीघ्र ही वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

बरामदगी- भारतीय जाली मुद्रा कुल ₹2,62,000/-

- ₹200 के 684 नोट
- ₹100 के 1252 नोट

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

- 1.अपराध निरीक्षक अनिल कुमार सिंह
2. उपनिरीक्षक हरिशंकर यादव
- 3.हे0का0 बृजेश तिवारी
- 4.का0 अनुराग यादव

गिरफ्तार अभियुक्त-

देवेन्द्र अहिरवार, पुत्र स्व. छेदामी उम्र 33 वर्ष निवासी-ग्राम आरी, थाना अजनर, जनपद महोबा

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

- मु.अ.सं. 344/2025 धारा 179/180 बीएनएस, थाना कुलपहाड़ महोबा
- मु.अ.सं. 118/2022 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट, थाना अजनर महोबा
- मु.अ.सं. 216/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना अजनर महोबा



पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा पुलिस पेंशनर्स के साथ त्रैमासिक गोष्ठी कर उनकी समस्याओं एवं सुझावों को सुना गया, दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देश ।

आज दिनांक- 08.12.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह की अध्यक्षता में पुलिस लाइन महोबा में पुलिस पेंशनर्स के साथ त्रैमासिक गोष्ठी आयोजित की गयी। गोष्ठी में पुलिस पेंशनरों से उनकी शिकायतों और सुझावों को सुना गया।

इस दौरान पेंशनर्स की समस्याओं को समझते हुए आवश्यक सुरक्षात्मक उपायों और विधिक सहायता के संबंध में सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

इस गोष्ठी का उद्देश्य पुलिस पेंशनर्स की समस्याओं को समझना और उनके समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाना था। पुलिस अधीक्षक महोबा ने पेंशनर्स की बात सुनी और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए आश्वस्त किया।

इस अवसर पर पेंशनर्स ने अपनी समस्याएं और सुझाव रखे, जिन पर पुलिस अधीक्षक महोबा ने आवश्यक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया।

इस गोष्ठी के माध्यम से पुलिस पेंशनर्स को अपनी समस्याएं रखने और उनके समाधान के लिए एक मंच प्रदान किया गया।

इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।



थाना कुलपहाड़ पुलिस टीम द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में धोखाधड़ी करने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के निर्देशन में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में धोखाधड़ी कर लाभ उठाने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रविकांत गोंड के नेतृत्व में थाना कुलपहाड़ पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुयी।

आज दिनांक 08.12.2025 को प्रभारी निरीक्षक कुलपहाड़ श्री विनोद कुमार सिंह द्वारा गठित टीम के निरीक्षक अपराध श्री अनिल कुमार सिंह मय हमराह हे०का० सुमित कुमार द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत अभियोग मु०अ०सं० 251/2025, धारा 318(4)/338/336(3) बी.एन.एस. में वांछित अभियुक्त कालीचरण पुत्र गयादीन उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम पहाड़ीवीर, थाना राठ, जनपद हमीरपुर को गौंदी चौराहा कस्बा एवं थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया, अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है।

जांच में पाया गया कि अभियुक्त कालीचरण ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में धोखाधड़ीपूर्वक लाभ लेने के उद्देश्य से अपने उपयोग में आने वाले मोबाइल नंबर 7408165993 का प्रयोग करते हुए फर्जी आवेदन किया था।

बरामदगी-

अभियुक्त के कब्जे से फसल बीमा से संबंधित कार्य में प्रयुक्त मोबाइल फोन बरामद।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त-

कालीचरण पुत्र गयादीन निवासी : ग्राम पहाड़ीवीर, थाना राठ, जनपद हमीरपुर

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. निरीक्षक अपराध अनिल कुमार सिंह थाना कुलपहाड़ महोबा
2. हे०का० सुमित कुमार थाना कुलपहाड़ महोबा



महोबा पुलिस